

प्रेस नोट – मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक – 09.09.2026

ऑपरेशन कन्विकशन: अवैध मादक पदार्थ (सुल्फा) बेचने के मामले में शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी

02 अभियुक्तों के कब्जे से 250-250 ग्राम (कुल 500 ग्राम) सुल्फा बरामद होने के आरोप में प्रत्येक को 06-06 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹20-₹20 हजार अर्थदण्ड

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जघन्य अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को न्यायालय से अधिकतम एवं कठोर दण्ड दिलाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली महोदय एवं श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के कुशल निर्देशन में शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर जघन्य अपराध के मामले में न्यायालय से कठोर सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/प्रभारी पैरवी के कुशल पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना तिलहर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्यों एवं कुल 05 गवाहों को समयबद्ध रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एडीजे-43, शाहजहाँपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. हेमराज पुत्र घनश्याम नि0 ग्राम आजमनगर मोहनपुर परसैला, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर 2. राजेश पुत्र सीताराम नि0मो0 निजामगंज, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर को 06-06 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹20-₹20 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

तिलहर पुलिस की सतर्कता एवं त्वरित कार्यवाही से 500 ग्राम सुल्फा बरामद, अभियुक्तों को न्यायालय से 06-06 वर्ष का कठोर कारावास

दिनांक 08.12.2022 को थाना तिलहर में तैनात उ0नि0 अनुज कुमार मय हमराहीगण के थाना क्षेत्र में भ्रमणशील थे तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम ग्वार सडक पर निगोही रोड के करीब 200 मीटर की दूरी पर 02 व्यक्ति दिखाई दिये। पुलिस टीम द्वारा उन दोनों व्यक्तियों को रोककर पूछताछ की तो उन्होंने अपना नाम 1. हेमराज पुत्र घनश्याम नि0 ग्राम आजमनगर मोहनपुर परसैला, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर तथा 2. राजेश पुत्र सीताराम नि0मो0 निजामगंज, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर बताया तथा अपने पास सुल्फा होना बताया गया। पुलिस टीम द्वारा मौके पर ही श्रीमान क्षेत्राधिकारी तिलहर श्री बी.एस. वीर कुमार को उक्त विषय के बारे बताया गया तथा मौके पर बुलाया गया जिसके पश्चात श्रीमान क्षेत्राधिकारी तिलहर की मौजूदगी में पुलिस टीम द्वारा उन दोनों की जामातलाशी ली गयी तो प्रत्येक के कब्जे से 250-250 ग्राम सुल्फा बरामद हुआ। पुलिस टीम द्वारा मौके पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान एकत्रित भौतिक एवं मौखिक साक्ष्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को मजबूती से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस एवं अभियोजन की निरन्तर एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा 1. हेमराज पुत्र घनश्याम नि0 ग्राम आजमनगर मोहनपुर परसैला, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर 2. राजेश पुत्र सीताराम नि0मो0 निजामगंज, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 06-06 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹20-₹20 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा प्राप्त अभियुक्त का विवरण

1. हेमराज पुत्र घनश्याम नि0 ग्राम आजमनगर मोहनपुर परसैला, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर।
2. राजेश पुत्र सीताराम नि0मो0 निजामगंज, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर।

प्रकरण का विवरण

मु0अ0सं0 883/2022, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर।

प्रकरण में अभियुक्त हेमराज व राजेश उपरोक्त के कब्जे से 250-250 ग्राम सुल्फा बरामद होने का आरोप था। प्रकरण में थाना तिलहर पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए कुल 05 साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा उपलब्ध साक्ष्यों को मजबूती से रखा गया। परिणामस्वरूप **माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त 1. हेमराज पुत्र घनश्याम नि0 ग्राम आजमनगर मोहनपुर परसैला, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर 2. राजेश पुत्र सीताराम नि0मो0 निजामगंज, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर को 06-06 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹20-₹20 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस की प्रतिबद्धता

शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा जघन्य अपराधों में अपराधियों को कानून के कठघरे तक पहुंचाने के साथ-साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर उन्हें कठोर दण्ड दिलाने का अभियान निरन्तर जारी है। ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से अपराधियों में कानून का भय एवं आमजन में सुरक्षा का विश्वास कायम करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।